अनुदान संख्या 33 - वित्तीय सेवाएं विभाग
GRANT No. 33 - DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	**Revenue:**					
स्वीकृत -	Voted -					
मूल	Original	32284,10,00		36686,98,00	34874,74,70	-1812,23,30
पूरक	Supplementary	4402,88,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1810,16,02
पूंजीगत:	**Capital :**					
स्वीकृत -	Voted -					
मूल	Original	17325,00,00		23182,12,00	22550,63,18	-631,48,82
पूरक	Supplementary	5857,12,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					631,48,79

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹181223.30 लाख) अगस्त, 2010, नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹440288.00 लाख के पूरक अनुदानों का 41 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹181223.30 lakhs) constituted 41 percent of the supplementary grants of ₹440288.00 lakhs obtained in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2052”	Major Head “2052”				
सचिवालय सामान्य सेवाएँ	Secretariat General Services				
मू.	O.	1240.00	1367.65	1356.11	-11.54
पु.	R.	127.65			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
मुख्य शीर्ष "2047" अन्य राजकोषीय सेवाएं	Major Head "2047" Other Fiscal Services					
मू.	O.	844.00				
				748.30	739.04	-9.26
पु.	R.	-95.70				
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services					
मू.	O.	6541.00				
				6340.28	6153.64	-186.64
पु.	R.	-200.72				
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare					
मू.	O.	2566332.00				
पू.	S.	349055.00		2902567.04	2902567.00	-0.04
पु.	R	-12819.96				
मुख्य शीर्ष "2416" कृषि वित्तीय संस्थाएं	Major Head "2416" Agricultural Financial Institutions					
मू.	O.	500465.00				
पू.	S.	53000.00		456584.00	456584.00	..
पु.	R.	-96881.00				
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals					
मू.	O.	85441.00				
पू.	S.	38233.00		57527.71	57527.70	-0.01
पु.	R.	-66146.29				
मुख्य शीर्ष "3465" सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थाएं	Major Head "3465" General Financial and Trading Institutions					
मू.	O.	67500.00				
				62500.00	62500.00	..
पु.	R.	-5000.00				

(I) ₹105000.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2416" - "अन्य व्यय - दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना की बहाली" - ₹100000.00 लाख स्कीम के संशोधनाधीन होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "3465" - "सामान्य वित्तीय सेवाएं - सामान्य वित्तीय सेवाओं को सहायता - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सहायता"- ₹5000.00 लाख अन्य स्कीम के साथ स्कीम के सम्मिलित हो जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अंतर्गत पेंशन - असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को नई पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्वावलंबन स्कीम" के अंतर्गत ₹11000.00 लाख की निधियों को पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराया गया था, जो तथापि, स्कीम के अंतर्गत धीमी गति से नामांकन किए जाने के वजह से कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹5650.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "2047" - "अन्य व्यय - विशेष न्यायालयों (प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित अपराधों पर मुकदमा) अधिनियम, 1992 का कार्यान्वयन" के अंतर्गत ₹104.96 लाख की बचत (₹844.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और व्यावसायिक सेवाओं पर कम निधियों की आवश्यकता होने और रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2070" - "अन्य व्यय - पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान" के अंतर्गत ₹800.00 लाख की बचत (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2235" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Provision of ₹105000.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under the following major heads:-

(A) Major Head "2416" - "Other Expenditure - Revival of Long Term Cooperative Credit Structure"-₹100000.00 lakhs - due to scheme being under revision.

(B) Major Head "3465"- "General Financial Institutions - Assistance to General Financial Institutions - Assistance to Public Sector Banks"- ₹5000.00 lakhs - due to subsuming the scheme with another Scheme.

(II) Under Major Head "2235" – "Other Social Security and Welfare Programmes -Pension under Social Security Schemes - Swavalamaban Scheme to encourage people from unorganized Sector to join New Pension System (NPS)"- funds of ₹11000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹5650.00 lakhs – due to requirement of less funds owing to slow enrolment under the scheme.

(III) Under Major Head "2047"-"Other Expenditure - Implementation of Special Courts (Trial of Offences relating to Transaction in Securities) Act, 1992"- saving of ₹104.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 844.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries and professional services and non-filling up of vacant posts.

(IV) Under Major Head "2070"- "Other Expenditure - Grant-in-aid to Pension Fund Regulatory and Development Authority"- saving of ₹800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Pension Fund Regulatory and Development Authority.

(V) Under Major Head "2235" - savings occurred under the following heads:-

(का) "कृषकों के लिए ऋण राहत - ऋण राहत/कृषि कर्जों की माफी - कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम - 2008 के अंतर्गत ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से कर्जों से राहत/की माफी" - ₹65953.00 लाख की बचत (₹1200000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नोडल एजेंसियों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Debt Relief for Farmers - Debt Relief/ Waiver of Agricultural Loans - Relief/ Waiver of Loans through lending Institutions against Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme-2008"-saving of ₹65953.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Nodal Agencies.

(खा) "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य व्यय - वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान" - ₹3362.00 लाख की बचत (₹20932.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को कम आर्थिक सहायता दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Social Security and Welfare Programmes - Other Expenditure - Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens" - saving of ₹3362.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20932.00 lakhs) was due to less subsidy to Life Insurance Corporation of India for Pension plan for senior citizens.

(VI) मुख्य शीर्ष "2885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं - औद्योगिक वित्त संस्थाओं को सहायता - आवासीय कर्जों पर 1% ब्याज सहायता" के अंतर्गत ₹66145.58 लाख की बचत (₹70000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नोडल एजेंसियों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "2885"-"Industrial Financial Institutions - Assistance to Industrial Finance Institutions - 1% Interest subvention on Housing Loans"- saving of ₹66145.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the Nodal Agencies.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹62064.00) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹391055.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹62064.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹391055.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - आरक्षित निधि को अंतरण - कृषकों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कृषक ऋण राहत निधि - 2008" - ₹61945.00 लाख।

(A) Major Head "2235"-"Other Social Security and Welfare Programmes - Transfer to Reserve Fund-Farmers Debt Relief Fund for Implementation of Debt Waiver and Debt Relief Scheme for Farmers-2008"-₹61945.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2416" - "अन्य व्यय - कृषकों को लघु आवधिक उधार देने के लिए ब्याज सहायता" - ₹119.00 लाख।

(B) Major Head "2416"-"Other Expenditure - Interest Subvention for providing short term credit to farmers"-₹119.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2052” - “सचिवालय - वित्तीय सेवाएं विभाग” - ₹116.11 लाख का अधिक व्यय (₹1240.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे जाने की वजह से वेतन के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “2070” - “अन्य व्यय - औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड” - ₹441.20 लाख का अधिक व्यय (₹843.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराया दरों में संशोधन होने की वजह से किराया, दरों और करों के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष “2235” - “अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य व्यय - समुदाय आधारित सर्वजन स्वास्थ्य बीमा स्कीम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को अदायगी” - ₹200.00 लाख का अधिक व्यय (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न साधारण बीमा कंपनियों द्वारा आर्थिक सहायता के अधिक दावे किए जाने की वजह से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष “2416” - “अन्य व्यय - राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को अनुदान” - ₹3000.00 लाख का अधिक व्यय (₹98465.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्र सरकार के संपूर्ण शेष भाग को जारी करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹63148.82 लाख) अगस्त, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹585712.00 लाख के पूरक अनुदानों का 11 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(A) Major Head “2052”- “Secretariat-Department of Financial Services”- excess of ₹116.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1240.00 lakhs) was due to requirement of more funds towards salaries owing to filling up of vacant posts.

(B) Major Head “2070”-“Other Expenditure-Board for Industrial and Financial Reconstruction” – excess of ₹ 441.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹843.00 lakhs) was due to requirement of more funds towards rent, rates and taxes owing to revision of rent rates.

(C) Major Head “2235” - “Other Social Security and Welfare Programmes - Other Expenditure-Payment to Public Sector General Insurance Companies for Community Based Universal Health Insurance Scheme”- excess of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds owing to higher claims of subsidy by various General Insurance Companies.

(D) Major Head “2416”-“Other Expenditure - Grants to National Bank for Agricultural and Rural Development”- excess of ₹3000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹98465.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to release the entire balance share of Central Government.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹63148.82 lakhs) constituted 11 percent of the supplementary grants of ₹585712.00 lakhs obtained in August, 2010 and March, 2011 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4416" कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Major Head "4416" Investments in Agricultural Financial Institutions				
पू.	S.	35000.00			
			6649.00	6649.00	..
पु.	R	-28351.00			
मुख्य शीर्ष "4885" उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4885" Other Capital Outlay on Industries and Minerals				
मू.	O.	80000.00			
			50000.00	50000.00	..
पु.	R.	-30000.00			
मुख्य शीर्ष "5465" सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	Major Head"5465" Investments in General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	1652500.00			
पू.	S .	550712.00	2198414.21	2198414.18	-0.03
पु.	R.	- 4797.79			

(I) ₹45000.00 लाख का पूरक प्रावधान मुख्य शीर्ष "5465"- "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय आवास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की साझीदारी की अधिग्रहण लागत" के अंतर्गत एक मामले में प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary provision of ₹45000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "5465" - "Investment in General Financial Institutions - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Acquisition cost of RBI stake in National Housing Bank(NHB)"- due to non-completion of procedural formalities.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक शीर्ष के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "4416" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - ऋणात्मक निवल संपत्ति वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुन:पूंजीकरण के सरकार के भाग का अंशदान"-

(A) Major Head "4416" – "Investment in Public Sector and Other Undertakings – Contribution of Government's Share of

₹35000.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, जो तथापि, कुछ राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आनुपातिक भाग जारी न किए जाने की वजह से केन्द्र सरकार का भाग जारी न होने के कारण ₹28351.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "5465" - "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश" -

(क) "राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की साझीदारी की अधिग्रहण लागत"- ₹145000.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, जो तथापि, भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के भाग अंतरित न होने के कारण ₹2000.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(ख) "विश्व बैंक की सहायता प्राप्त सूक्ष्म वित्त परियोजना के अंतर्गत भारत में सूक्ष्म वित्त तक पहुंच में सुधार के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को विश्व बैंक की सहायता" - ₹42012.00 लाख की निधियों को पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराया गया था, जो तथापि, विश्व बैंक से कम कर्ज प्राप्त होने के कारण ₹821.22 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(III) मुख्य शीर्ष "4885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड को इक्विटी सहायता" के अंतर्गत ₹30000.00 लाख की बचत (₹50000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंपनी की प्राधिकृत पूंजी में बढ़ोतरी न होने की वजह से विद्यमान प्राधिकृत पूंजी तक ही इक्विटी सहायता जारी किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "5465" - "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - विश्व बैंक कर्ज के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुन: पूंजीकरण"

recapitalisation of Regional Rural Banks having negative networth" – funds of ₹35000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹28351.00 lakhs – due to non-release of Central Government share owing to non-release of proportionate share by some State Governments and sponsor Banks to the Regional Rural Banks.

(B) Major Head "5465" - "Investment in General Financial Institutions - Investment in Public Sector and Other Undertakings" –

(a) "Acquisition cost of RBI stake in National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD)"-funds of ₹145000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹2000.00 lakhs – due to non-transfer of share of Reserve Bank of India in National Bank for Agricultural and Rural Development to Government of India.

(b) "World Bank Assistance to Small Industries Development Bank of India to improve access to Microfinance in India under World Bank assisted Microfinance Project"- funds of ₹42012.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹821.22 lakhs - due to receipt of less loans from World Bank.

(III) Under Major Head "4885" - "Investment in Industrial Financial Institutions - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Equity support to India Infrastructure Finance Company Ltd." - saving of ₹30000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50000.00 lakhs) was due to release of equity support being restricted to present authorized capital owing to non-increase in authorized capital of Company.

(IV) Under Major Head "5465" - "Investment in General Financial Institutions – Investment in Public Sector Banks and Other Undertakings –

के अंतर्गत ₹238276.59 लाख की बचत (₹1500000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई योजना स्कीम को निधियां अंतरित किए जाने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹281300.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "5465" - "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुन: पूंजीकरण" के अंतर्गत ₹318700.00 लाख के पूरक अनुदानों को प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹281299.99 लाख था।

Recapitalisation of Public Sector Banks through World Bank loan"-saving of ₹238276.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500000.00 lakhs) was due to transfer of funds to the new plan scheme.

4. The above savings were partly (₹281300.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹318700.00 lakhs under Major Head "5465" - "Investment in General Financial Institutions – Investment in Public Sector and Other Undertakings – Recapitalisation of Public Sector Banks". Actual excess, however, was ₹281299.99 lakhs.